ब्रीफ न्यूज

राजनाथ ने जापान और फिलिपींस के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की

नई दिल्ली, (आरएनएन)। आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए लाओस गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान और फिलिपींस के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है। सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वियनतियाने लाओस में जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकतानी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलिपींस के रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पोस्ट किया कि फिलिपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टेओडोरो के साथ अच्छी बैठक हुई। फिलिपींस हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यॉट का किया गया भव्य उद्घाटन

पणजी, (आरएनएन)। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के 55वें संस्करण में इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (इंपा) ने अपने विशेष यॉट का उद्घाटन किया। यह यॉट मंडोवी नदी पर मैरियट होटल के पास मुख्य समारोह स्थल के सामने खड़ी है, जिसे भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यॉट का उद्घाटन बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू द्वारा किया गया।

रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर की टेस्टिंग

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, यूक्रेन के मददगारों पर करेंगे हमला

आवाज से भी तेज स्पीड, 5000 किमी की रेंज, नई रूसी मिसाइल से यूक्रेन, अमेरिका में खलबली

मॉस्को, (आरएनएन)। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के कुछ ही घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक देश के नाम संबोधन दिया। एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस ने नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। पुतिन ने कहा कि हमें उनके खिलाफ हमला करने का अधिकार है, जो हम पर हमला करते हैं।

पुतिन ने मिसाइल का नाम 'ओरेशनिक' बताया। मिसाइल की रेंज 5000 किमी है और आवाज से भी तेज स्पीड (2.5 से 3 किमी प्रति सेकेंड) की रफ्तार से लक्ष्य पर हमला करता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि मॉस्को यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन के डिनिप्रो शहर पर घातक मिसाइल से हमला किया था। इसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल (आईसीबीएम) से हमला किया है। हालांकि, अमेरिकी अफसरों ने जेलेंस्की के दावे को खारिज कर दिया था।

पुतिन बोले- यूक्रेन जंग को बढ़ा रहे पश्चिमी देश

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन जंग अब वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो रही है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइलों का रूसी जमीन पर इस्तेमाल करने की अनुमति देकर इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने कहा कि रूस, अगर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वह हमले से पहले वहां के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चेतावनी जारी करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कभी कामयाब नहीं होंगे।

कनाडा प्रशासन की सफाई, मीडिया रिपोर्ट्स को किया खारिज

निज्जर हत्या में मोदी का नाम नहीं, इसके कोई सबूत नहीं

टोरंटो, (आरएनएन)। कनाडा सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की प्लानिंग की जानकारी थी।

कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बारे में जानते थे। ट्रूडो सरकार की तरफ से शुक्रवार को बयान जारी करके साफ किया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कनाडा में आपराधिक गतिविधियों से भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए का लिंक है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इंटेलिजेंस एडवाइजर की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कि 14 अक्टूबर को नागरिकों की सुरक्षा को खतरे की वजह से अफसरों ने कनाडा में जारी आपराधिक गतिविधियों के पीछे भारत सरकार के एजेंटों का हाथ होने की बात कही थी।

इससे पहले ब्राजील में जी 20 समिट में पीएम मोदी और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की साथ में तस्वीर आई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि इससे दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की शुरुआत हो सकती है।

हालांकि इस मुलाकात के अगले दिन ही ट्रूडो सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कनाडाई न्यूज एजेंसी सीबीसी के मुताबिक अधिकारियों ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की वजह नहीं बताई।

गुरुद्वारे से निकलते वक्त हुई थी निज्जर की हत्या

18 जून 2023 की शाम को सरे शहर के एक गुरुद्वारे से निकलते समय निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के आपसी रिश्तों में काफी तल्खी आ गई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने आरोप लगाया था कि कनाडा उन लोगों को वीजा देता है, जो भारत में वांटेड हैं। उन्होंने कहा था कि पंजाब में संगठित अपराधों से जुड़े लोगों का कनाडा में स्वागत किया जाता है। वहीं, कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के एक साल पूरे होने पर उसे श्रद्धांजलि दी थी।

अडानी घूस मामले से बीजद ने झाड़ लिया अपना पल्ला

भुवनेश्वर, आरएनएन। ओडिशा में वर्ष 2000 से जून 2024 तक सत्ता में रहे बीजू जनता दल (बीजद) ने शुक्रवार को कहा कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने सेंट्रल ग्रीड से राज्य को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अडानी समूह से रिश्वत ली।

अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप गलत

अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी तथा उनके भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य पर महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इसमें अधिकारियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं से समूह को 20 साल से अधिक समय में दो अरब डॉलर से अधिक लाभ होने की उम्मीद है। हालांकि, अडानी समूह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और समूह सभी कानूनों का अनुपालन करता है। ओडिशा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजद विधायक पी के देब ने कहा, ओडिशा के नाम पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। देब ने कहा, ओडिशा सरकार का इस समझौते से कोई लेना-देना नहीं है।

जम्मू में अप्रवासी कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया

जेडीए ने बिना नोटिस की कार्रवाई, दर्जन भर दुकानें ढहाई गई, पीड़ित बोले- हम 90 के दशक में वापस आ गए

श्रीनगर, (आरएनएन)। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया गया। जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जम्मू शहर में मुठी कैंप के पास स्थित कश्मीरी पंडितों की दर्जन भर दुकानों को ढहा दिया। ये दुकानें लगभग तीन दशक पहले विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने बनाई थीं। लोगों का कहना है कि दुकानों को बिना नोटिस दिए ढहा दिया गया। हम 90 के दशक में वापस आ गए हैं। लोग पिछले तीन दिन से विरोध कर रहे हैं। वह जेडीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जेडीए का कहना है कि दुकानें उनकी जमीन पर बनी थीं। आयुक्त अरविंद करवानी ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि उनके लिए नई दुकानें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जेडीए ने मुठी कैंप फेज-2 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टेंडर जारी किया है। जल्द ही दुकानें बनाकर प्रभावितों को दी जाएंगी।

हमें बताया गया कि हमारा पुनर्वास किया जाएगा लेकिन कोई भी सरकारी अधिकारी हमारी दुर्दशा देखने नहीं आया। हम सड़क पर थे और ऐसा लगा कि फिर 90 के दशक में वापस आ गये।

इजराइली पीएम नेतन्याहू पर पश्चिमी देश बंटे गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर अमेरिका नाराज

तेल अवीव, (आरएनएन)। इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बंट गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है।

ब्रिटेन, इटली और कनाडा बोले- हमारे यहां आए तो गिरफ्तार करेंगे

वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने आईसीसी के आदेश को मानने ने इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और इसे 'जल्दबाजी' बताया है। अमेरिका आईसीसी का मेंबर देश नहीं है। नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध (वॉर क्राइम) और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए थे।

यूरोपीय देशों ने कहा- एक जैसे हैं हमास और इजराइल

इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसिटो ने कहा कि उनका देश आईसीसी के नियमों को मानेगा। उन्होंने कहा कि वे आईसीसी के इस आरोप से इनकार करते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम नियमों से बंधे हुए हैं। आईसीसी का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो नेतन्याहू को अपनी धरती पर अरेस्ट करेगा। हालांकि पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा है कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है। इजराइल को खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वे नियमों का पालन करेंगे।

केजरीवाल से हजार गुना बेहतर सीएम है आतिशी : एलजी

दिल्ली, (आरएनएन)। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और सत्तारूढ़ आप के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को अचानक वीके सक्सेना ने दिल्ली की सीएम आतिश की तारीफ की।

सक्सेना ने आतिशी को पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से 'हजार गुना बेहतर' बताया. उपराज्यपाल का पिछले महीनों में केजरीवाल से कानूनी, प्रशासनिक और शासन के अन्य मुद्दों पर कई बार तीखा टकराव हो चुका है। शुक्रवार को दोपहर में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वूमेन के दीक्षांत समारोह में ने कहा कि वे इस बात से खुश हैं कि वर्तमान सीएम एक महिला हैं।

बुशरा बीबी बोलीं- सऊदी अरब ने इमरान को सत्ता से हटाया

नंगे पांव मदीना जाने की सजा मिली, कहा- 24 नवंबर का प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा

इस्लामाबाद, (आरएनएन)। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर उनके पति के खिलाफ साजिश रचने और उन्हें सत्ता से बाहर करने का आरोप लगाया है। बुशरा बीबी ने 29 मिनट का वीडियो जारी कर इसका दावा किया है।

वीडियो तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ है। इससे पहले इमरान खान ने अमेरिका पर उन्हें सत्ता से बाहर करने का इल्जाम लगाया था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बुशरा के नए खुलासे से इमरान का जेल से बाहर आना और मुश्किल हो जाएगा। बुशरा ने कहा- इसके बाद से बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। बाजवा, इमरान खान को सऊदी एजेंट बुलाने लगे और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे।

बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान ने कभी इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया लेकिन बाजवा से पूछताछ की जानी चाहिए। उनकी फैमिली ने ही किसी को यह बात बताई थी जो हम तक पहुंची। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच संबंध काफी अच्छे थे। हालांकि उनके दूसरे कार्यकाल में दोनों के संबंधों में खटास आ गई। बाद में इमरान ने दावा किया कि बाजवा भारत के साथ दोस्ताना संबंध का दबाव बना रहे थे। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच संबंध काफी अच्छे थे।

लगाए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं : बाजवा

वीडियो संदेश में बुशरा ने पाक के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि मई 2021 में इमरान खान ने सऊदी अरब की धार्मिक यात्रा की थी। इस दौरान इमरान 'नंगे पांव' मदीना गए थे। उनके वापस आने के बाद जनरल बाजवा को फोन आने लगे थे। उन्होंने बाजवा से कहा कि ये अपने साथ किस आदमी को उठा लाए हो, हम इस मुल्क में शरियत का निजाम खत्म करना चाहते हैं। वहीं बाजवा बोले आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, सभी आरोप बेतुके है।और तुम शरियत के ठेकेदारों को उठा लाए हो। हमें ये नहीं चाहिए।

कांग्रेस हमारी सरकार का हिस्सा नहीं : अब्दुल्ला

श्रीनगर, (आरएनएन)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस उनकी सरकार का हिस्सा नहीं है। इस साल के मध्य में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। चुनाव में एनसी को पूर्ण बहुमत मिला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनी।

उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से मुखातिब थे। पूर्ण राज्य के दर्जे और धारा-370 की वापसी को लेकर एनसी के चुनावी वादे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से हम जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं (धारा-370 के संदर्भ में) जो लोग चाहते हैं, लेकिन हम इसे पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गत दिनों नेकां एक प्रस्ताव ले आई थी, जिसमें 'विशेष दर्जा (धारा-370) और संवैधानिक गारंटी की बहाली' के लिए चर्चा की मांग की गई थी। इस पर कांग्रेस के स्टैंड के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर असेंबली में यह प्रस्ताव लेकर आई है व बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस समेत ज्यादातर दलों के विधायकों ने इसका समर्थन किया।

standard chartered स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

सरफेसी अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के सेक्शन 13 (2) के अंतर्गत माँग सूचना

क्रम सं.	ऋणकर्ता(ओं) के नाम एवं पता(ते) (ए)	ऋण राशि (रू.) (बी)	ऋण खाता सं. (सी)	गिरवी संपत्ति का विवरण (डी)	शेष राशि (रू.) (ई)	एनपीए तिथि (एफ)
1.	1) लक्ष्मी ट्रेडर्स 2) लक्ष्मी चंद खंडेलवाल 3) सरोज बाला खंडेलवाल 4) पंकज खंडेलवाल	रू. 1,40,00,000/- (रूपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)	51260123	1. प्लॉट नं. बी-96, उस पर निर्माण सहित स्कीम नं. 78-1, लोहामंडी, देवास नाका, जिला इंदौर म. प्र. (प्लॉट क्षेत्र 173.77 वर्ग मी)	रू. 9899504.40/- (रूपये अंठ्यानबे लाख निन्यानबे हजार पाँचसौ चार एवं चालीस पैसे मात्र) 10.10.2024 तक ब्याज	01.10.2024

जहाँ कहीं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 23-25, एम जी रोड, फोर्ट मुंबई 400 001 (यहाँ आगे बतौर "बैंक" संदर्भित) में स्थित है कॉलम ए में लिखे ऋणकर्ताओं कॉलम बी में पृथक ऋण सुविधा कॉलम सी में दर्शाये ऋण खाता सं. द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ता(ओं) के नाम प्रसारित कर रहा है।
उपरोक्त क्रेडिट सुविधा परस्पर प्रत्येक ऋणकर्ता के नाम कॉलम डी में लिखी अचल संपत्ति (यहाँ आगे बतौर "सुरक्षित संपत्ति" संदर्भित) को गिरवी रखने के द्वारा सुरक्षित है।
ऊपर दर्शाये नामित ऋणकर्ता(ओं) ऋण खातों में द्वारा व्यवसाय के सामान्य परिचालन के अनुसार लेखा खातों में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में असफल हो गये हैं, शेष राशि जो प्रत्येक ऋणकर्ता(ओं) के नाम से कॉलम ई में दर्शाई गई है।
उपरोक्त ऋणकर्ता(ओं) के द्वारा निरंतर भुगतान में चूक होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपरोक्त ऋणकर्ता(ओं) का ऋण खाता बैंक द्वारा कॉलम एफ में दर्शाई तिथि को बतौर गैर-निष्पादित संपत्तियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। अधिनियम के सेक्शन 13(2) के अंतर्गत प्रत्येक ऋणकर्ता(ओं) को नोटिस भी जारी किये गये थे, जो बिना प्राप्त हुए बैंक के पास वापस आ गये।
उपरोक्त भुगतान चूक के लिये बैंक यहाँ कॉलम ई में ऊपर दिये गये नाम के ऋणकर्ता(ओं) को दर्शाई तिथि तक ब्याज, लागतों और अधिभारों सहित संपूर्ण शेष अधिभारों के बैंक को पूर्ण भुगतान के लिये इस नोटिस से प्रकाशन से 60 (साठ) दिवस के भीतर आपकी संपूर्ण देयताओं से मुक्ति हेतु आमंत्रित करता है, असफल होने पर, बैंक अधिग्रहण का पात्र होगा एवं विधि अनुसार बैंक के पास उपलब्ध उपचारों के अनुसार अन्य कार्यवाहियाँ करेगा।
कृपया, ध्यान दें आपको सूचित किया जाता है, ऊपर दिये गये नाम के ऋणकर्ता(ओं) को संपत्ति हस्तांक्षरित (स्थानांतरण, विक्रय, लीज या किसी अन्य प्रकार सहित) करने या तृतीय पक्ष के हित निर्माण करने या सुरक्षित संपत्ति से संव्यवहार, बैंक द्वारा पूर्व विशेष लिखित अनुमति के बिना करने से प्रतिबंधित किया जाता है। सूचित किया जाता है कि इसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने से एक वर्ष की अवधि तक कारावास, अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
आपके ध्यानार्थ, ऋणकर्ताओं को सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के अंतर्गत उपलब्ध समय में संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किया जाता है, यह कथन प्रस्तुत किया जाता है आम सूचना एवं/या ई-नीलामी, कोटेशन, जनता द्वारा निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित संपत्ति(यों) के विक्रय के लिये सूचना के प्रकाशन तक की तिथि तक ब्याज, लागतों और अधिभारों सहित बैंक द्वारा किये गये संपूर्ण खर्चों के लिये संपूर्ण शेष अधिभारों के बैंक को पूर्ण भुगतान द्वारा आप संपत्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें, सिक्योराईटाईजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्शियल एसेट्स के सेक्शन 13(2) एवं एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत यह अंतिम नोटिस है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपके विरूद्ध बैंक के पास किसी या सभी अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार संपूर्ण रूप से आपके जोखिम, जिम्मेदारी और लागतों पर है।

तिथि : 23/11/2024
स्थान : इंदौर

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
विभिन्न आर्सिल ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी क्षमता अनुसार कार्यरत
पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, 10वाँ तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028, दूरभाष : 022-66581300.
शाखा का पता : 416/बी, डी.एम. टॉवर, जंजीरवाला चौराहा के पास, न्यू पलासिया, इंदौर - 452001 म.प्र.
वेबसाइट : https://auction.arcil.co.in सीआईएन नंबर : U65999MH2002PLC134884

ऑनलाईन ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना
सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के 6, 8 एवं 9 नियम के तहत अचल संपत्तियों का विक्रय

सिक्यूरीटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्सेट्स एवं इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 ("अधिनियम") एवं सिक्योरिटी इंट्रेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("नियम") के नियम 6, 8 एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों के विक्रय के लिये ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए गिरवी / प्रभारित किया गया है। लेनदार, जिसका भौतिक कब्जा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जो सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। आर्सिल ने बैंकों/वित्तीय संस्थान से अधिग्रहण किया है। वित्तीय संपत्तियाँ निम्न दर्शाई गई हैं और सुरक्षित लेनदार के अधिकारों को हासिल कर लिया है। परिसम्पत्तियाँ "जहाँ है जैसी है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार विक्रय की जाएगी :

ऋणकर्ता(ओं)/ सह-ऋणकर्ता(ओं) /गारं. /गिरवीकर्ता का नाम	ऋण खाता सं. / विक्रेता बैंक	ट्रस्ट का नाम	शेष ऋण राशि सरफेसी नोटिस तिथि 24.05.2019 के अनुसार	अधिग्रहण का प्रकार व तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार/आकार /प्रकृति	गिरवी का प्रकार	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि व समय
श्री राजेन्द्र सिंह राठौर / श्रीमती मनीषा / श्री कोमला चंद	एलबीपीएचएम000 01421122 आईसीआईसीआई बैंक लि.	आर्सिल -रिटेल लोन पोर्टफोलियो001 -सी- ट्रस्ट	रु. 13,56,025/- 29/01/2010 के अनुसार + भावी ब्याज + विधिक व्यय	14.01.2017 धारा 13(4) के अनुसार भौतिक अधिग्रहण	10.12.2024	आवासीय भूमि - 840 वर्ग फीट निर्माण- 750 वर्ग फीट	पंजीकृत	रू. 2,65,000/ (रूपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र)	रू. 26,50,000/- (रूपये छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)	23.12.2024 को 12:30 बजे तक

नीलाम होने वाली संपत्ति का विवरण : प्लॉट नं. ईएम-51, इंडस टाऊन पीथमपुर, पीएच नं. 61, तहसील एवं जिला धार, म.प्र. - 454774 सिटी धार, राज्य-म.प्र., पिनकोड-454001 के सभी अंश भाग। भूमि क्षेत्र : 840 वर्ग फुट बीयूए : 750 वर्ग फुट।

आर्सिल को ज्ञात लंबित मुकदमे	एसए नं. 53/2020 माननीय डीआरटी जबलपुर के समक्ष	आर्सिल को ज्ञात अधिभार/ऋण	ज्ञात नहीं
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन 2 घंटे पूर्व नीलामी	बोली वृद्धि राशि	बोली दस्तावेज में दर्शाये अनुसार
डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनेगा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलिया 001-सी-ट्रस्ट		निम्न में भुगतान योग्य : इंदौर / पार
आरटीजीएस विवरण	खाता सं. : 039305002243, बैंक का नाम : आईसीआईसीआई बैंक आईएफसी कोड : ICIC0000393 ब्रांच का पता : बैक बे रिक्लेमेशन ब्रांच, मुम्बई.		
दूरभाष नंबर सहित संपर्क सूत्र	शैलेष गायकवाड़- 9867929121 (shailesh.gaikwad@arcil.co.in), महेश बंगेरा - 9004173256 (mahesh.bangera@arcil.co.in), पीयूष गुप्ता - 9687657072 (piyush.gupta@arcil.co.in), विकास शर्मा- 9098599899 (vikas.sharma@arcil.co.in), अल्मास कागजी - 9924541228 (almas.kagzi@arcil.co.in)		

ऋणकर्ता(ओं)/ सह-ऋणकर्ता(ओं) /गारं. /गिरवीकर्ता का नाम	ऋण खाता सं. / विक्रेता बैंक	ट्रस्ट का नाम	शेष ऋण राशि सरफेसी नोटिस तिथि 24.05.2019 के अनुसार	अधिग्रहण का प्रकार व तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार/आकार /प्रकृति	गिरवी का प्रकार	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	नीलामी की तिथि व समय
श्री संदीप ओझा / श्रीमती कंचन ओझा / बिने इंजीनियरिंग वर्क्स	60160721 0175520 फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कं. लि. (FIHFCL)	आर्सिल -रिटेल लोन पोर्टफोलियो053 -सी- ट्रस्ट	रु. 31,04,176/- 27/09/2018 के अनुसार + भावी ब्याज + विधिक व्यय	धारा 13(4) के अनुसार भौतिक अधिग्रहण	10.12.2024	आवासीय भूमि - 966 वर्ग फीट निर्माण- 1206 वर्ग फीट	पंजीकृत	रू. 3,02,000/ (रूपये तीन लाख दो हजार मात्र)	रू. 30,20,000/- (रूपये तीस बीस हजार मात्र)	23.12.2024 को 02:00 बजे तक

नीलाम होने वाली संपत्ति का विवरण : प्लॉट नं. बी-48, प्रभातम ओयेस्टर सिटी, कालीबिल्लौद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, सिटी इंदौर, राज्य म.प्र., पिनकोड-452001 के सभी अंश भाग। भूमि क्षेत्र : 840 वर्ग फुट बीयूए : 750 वर्ग फुट।

आर्सिल को ज्ञात लंबित मुकदमे	एसए नं. 53/2020 माननीय डीआरटी जबलपुर के समक्ष	आर्सिल को ज्ञात अधिभार/ऋण	ज्ञात नहीं
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन 2 घंटे पूर्व नीलामी	बोली वृद्धि राशि	बोली दस्तावेज में दर्शाये अनुसार
डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनेगा	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलिया 053 ए ट्रस्ट		निम्न में भुगतान योग्य : इंदौर / पार
आरटीजीएस विवरण	खाता सं. : 57500000373024, बैंक का नाम : एचडीएफसी बैंक आईएफसी कोड : HDFC0000542 ब्रांच का पता : कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल-400013.		
दूरभाष नंबर सहित संपर्क सूत्र	शैलेष गायकवाड़- 9867929121 (shailesh.gaikwad@arcil.co.in), महेश बंगेरा - 9004173256 (mahesh.bangera@arcil.co.in), पीयूष गुप्ता - 9687657072 (piyush.gupta@arcil.co.in), विकास शर्मा- 9098599899 (vikas.sharma@arcil.co.in), अल्मास कागजी - 9924541228 (almas.kagzi@arcil.co.in)		

नियम और शर्तें
1) नीलामी बिक्री वेबसाइट https://auction.arcil.co.in के माध्यम से बोली दस्तावेज़ की शर्तें, और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से और शर्तों के अनुसार आयोजित की जा रही है।
2) प्राधिकृत अधिकारी ("एओ")/एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश डाउन, बिजली विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3) नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकते हैं या नीलामी को स्थगित कर सकते हैं।
4) सफल क्रेता/बोलीदाता को खरीद पर लागू कानून के अनुसार उसके पक्ष में कोई भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, लागू जीएसटी प्रतिफल, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि जो सुरक्षित परिसंपत्ति को संप्रेषित/वितरित करने के लिए भुगतान किया जाना आवश्यक है, वहन करना होगा।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले अपनी स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए/प्रतिभूति के शीर्षक, ऋणभार, सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाली संपत्ति और दावे/अधिकार/बकाया, जिसमें वैधानिक बकाया आदि शामिल हैं के संबंध में उचित परिश्रम करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन में एआरसीआईएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है और न ही होगा। एआरसीआईएल के अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
6) समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालाँकि, अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा
7) उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री नोटिस को उपरोक्त उल्लिखित नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में मानेंगे।
8) यदि ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित संपत्ति को किसी अन्य तरीके से बेचने का अधिकार है।

स्थान : मध्य प्रदेश
तिथि : 23.11.2024

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड